भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2519
उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

विश्वविद्यालयों में महिला शोधार्थियों का उत्पीड़न

†2519. **श्री गिरिधारी यादव**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में मार्गदर्शकों/पर्यवेक्षकों और अन्य लोगों द्वारा अपने शोधार्थियों विशेषकर महिला शोधार्थियों के मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण/उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो महिला शोधार्थियों पर इन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा और इसके प्रमुख कारण क्या हैं;
(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015 और पॉश अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) की स्थिति क्या है और कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनमें से कितनी शिकायतें निपटाई गई हैं;
(घ) क्या सरकार शोधार्थियों के शोषण को रोकने के लिए परामर्शी दिशानिर्देश, डिजिटल शिकायत पोर्टल, कठोर दंड और महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा उपायों जैसे कोई अतिरिक्त उपाय करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इन उपायों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग) सरकार सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) में एक सुरक्षित, संरक्षित और लैंगिक रूप से संवेदनशील वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में, यूजीसी ने यूजीसी (उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया है, जो

सांविधिक प्रकृति के होने के कारण विश्वविद्यालयों और कॉलेजों हेतु अनिवार्य हैं। उक्त विनियम देश भर के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) पर लागू होते हैं। यूजीसी विनियम एचईआई में महिला कर्मचारियों और सभी विद्यार्थियों के विरूद्ध किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न का निर्णायक रूप से विरोध करते हैं, और शोधकर्ताओं सहित महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण का तंत्र प्रदान करते हैं। "छात्र" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसे विधिवत प्रवेश मिला हो और जो रेगुलर या डिस्टेंस मोड के माध्यम से अध्ययन का कोई प्रोग्राम कर रहा हो। नतीजतन, शोधकर्ता पहले से ही मौजूदा नियामक ढाँचे के दायरे में आते हैं।

यूजीसी विनियम, 2015 के अनुसार, प्रत्येक एचईआई को यौन उत्पीड़न की शिकायतों को प्राप्त करने और पूछताछ करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन करना अनिवार्य है और समयबद्ध तरीके से शिकायतों को दर्ज करने, पूछताछ और निपटान के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है। इस रूपरेखा के अनुसार, संबंधित उच्चतर शिक्षा संस्थान जागरूकता और लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, यूजीसी विनियम, 2015 के अनुपालन में यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जमा करते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) में आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) के गठन और कार्यकरण से संबंधित अधिदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न पहलों की शुरूआत की गई हैं। प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

I. **सक्षम पोर्टल**: इसे महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु विकसित किया गया है। इसके अन्तर्गत उन्हें समस्याओं के समाधान के तरीकों के बारे में सहायता और जानकारी दी जाती है, साथ ही लैंगिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया जाता है।
II. सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को समय-समय पर सलाह जारी करना, जिसके विषय होंगे:
 - आईसीसी और विशेष महिला प्रकोष्ठों का गठन करना।
 - बैनर और पोस्टर का प्रदर्शन करना।
 - आईसीसी सदस्यों के नाम और संपर्क के ब्यौरे का प्रदर्शन करना।
 - दंडात्मक परिणामों और महिला हेल्पलाइन नंबरों पर प्रकाश डालने वाले होर्डिंग लगाना।

इसके अतिरिक्त, संस्थाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे यौन उत्पीड़न के मामलों पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें और 'सक्षम' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जेंडर ऑडिट अनुपालन की प्रक्रिया पूरी करें।

iii **टोल-फ्री नंबर**: महिलाओं और यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए यूजीसी द्वारा प्रदान किया गया एक टोल-फ्री नंबर (1800-111-656)

iv **बुनियादी सुविधाओं और व्यवस्थाओं के लिए दिशानिर्देश**: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए, "एचईआई में महिलाओं और महिला प्रकोष्ठों के लिए एक सुरक्षित, सरंक्षित वातावरण (संवेदीकरण, नीति कार्यान्वयन, निगरानी और शिकायत निवारण हेतु) के लिए बुनियादी सुविधाएं और व्यवस्थाएं" शीर्षक वाले दिशानिर्देश में इस बात पर जोर दिया गया कि एक सुरक्षित, संरक्षित और हिंसा मुक्त वातावरण प्रदान करना - विशेष रूप से महिला छात्रों के लिए - संस्थाओं की बड़ी जिम्मेदारी है।
